



छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :- 0771-4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in

Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक- 44/रेरा/2020/566

रायपुर, दिनांक 19/05/2020

// परिपत्र //

विषय:- त्रैमासिक अपडेशन एवं प्रोजेक्ट का रेरा पंजीयन से संबंधित विचाराधीन प्रकरण की सुनवाई के संबंध में।

—00—

विषयांतर्गत (कोविड-19) कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के उद्देश्य से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में Social Distancing के पालन करते हुये कार्यालयीन कार्य, प्रारंभ करने निर्देशित किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार महत्वपूर्ण प्रकरणों में "विडियो कान्फ्रेंसिंग" के माध्यम से सुनवाई किये जाने निर्देशित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा, प्राधिकरण के समक्ष अधिनियम की धारा-31 के अंतर्गत प्रारूप-ड. (FORM-M) प्रपत्र में नियमानुसार प्रस्तुत किये गये विचाराधीन अन्य प्रकरणों में "विडियो कान्फ्रेंसिंग" के द्वारा सुनवाई की जा रही है। परन्तु कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन संबंधी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुये भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-37 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन अन्य प्रकरणों (जैसे-त्रैमासिक अपडेशन संबंधी प्रकरण, प्रोजेक्ट के रेरा रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रकरण, विज्ञापन (बल्क एस.एम.एस.) संबंधी प्रकरण आदि) की सुनवाई आगामी आदेश पर्यन्त स्थागित रखी जाती है। उक्त प्रकरणों की सुनवाई हेतु निर्धारित आगामी तिथि प्राधिकरण के वेब-साईट पर प्रसारित होती रहेगी।

(मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा आदेशित)

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)

रजिस्ट्रार 2020

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर